शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 04.12.2024

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा षड़यन्त्र करके योजनाबद्ध तरीके से दिन दहाड़े ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के नेतृत्व में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने निकट निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता नि0 मो0 श्यामतगंज गौटिया निकट गौटिया मंदिर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर ने सूचना दी कि दिनांक 02.12.24 को प्रिंस राजपूत पुत्र सत्यपाल नि0मो0 गदियाना थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर, उसकी पत्नी पलक व साली काजल पुत्री महेश नि0 निकट एल.आई.सी. पेट्रोल पम्प, अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर ने कुछ बात करने हेतु मेरे पुत्र आयुष गुप्ता को समय लगभग दोपहर दिन के 3.00 बजे ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में बुलाया था। आयुष गुप्ता तय समय पर रामलीला मैदान में पहुँच गया था, जहाँ पर पहले से मौजूद प्रिंस राजपूत व स्वप्निल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा, नि0 मो0 मतानी, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर व निशांत मिश्रा पुत्र नामालूम नि0मो0 आनन्दपुरम, अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा नि.मो. अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर तथा अनमोल सक्सेना, शेखर मौर्या, अनुज सिंह, आर्यन सिंह नि0 मो0 डबल स्टोरी, पियूष राठौर पुत्र सर्वेश राठौर नि0मो0 दिलाजाक, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर, कमल पुत्र नामालूम, मो0 आदिल व कई अन्य लोगों ने एकराय होकर आयुष गुप्ता को घेर लिया व अरविन्द वर्मा ने पीछे से गोली मार दी, जो कि सीधे आयुष गुप्ता के सिर के पिछले भाग में लगी, जिससे वह मौके पर ही खत्म हो गया था। वादी मुकदमा के भाई राजीव गुप्ता, जिनकी मौके के पास में ही दुकान है, ने मौके पर पहुँचकर घटना को देखा तथा विरोध किया था, जिस पर उपरोक्त सभी मुल्जिमान शस्त्र लहराते व ललकारते हुए मौके से भाग गये थे। राजीव गुप्ता ने तुरन्त घर पर सूचना दी थी और आयुष गुप्ता को इलाज हेतु डा0 विजय पाठक जी के अस्पताल ले गये थे, जहाँ पर डाक्टर विजय पाठक ने आयुष गुप्ता को मृत घोषित कर दिया था। उपरोक्त सभी मुल्जिमान गुन्डा प्रवृत्ति के लोग हैं, सभी ने योजना बनाकर षड़यन्त्र करके आयुष गुप्ता की हत्या कर दी। इस घटना के सम्बन्ध में वादी श्री दिलीप कुमार गुप्ता उपरोक्त द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 02.12.2024 को मु0अ0सं0 800/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/103(1) बी.एन.एस. बनाम अरविन्द वर्मा आदि 14 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

विवेचना से प्राप्त ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर इस मामले में अभियुक्तगण 1. आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ पुत्र सत्यपाल जाटव, नि0 मो0 गदियाना थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर2. आर्यन उर्फ शुभांकर पुत्र स्व0 शिवराज निवासी क्वाटर नं.1 F13 डबल स्टोरी ओ.सी.एफ स्टैट थाना सदर बाजार शाहजहांपुर एवं 3. काजल पुत्री महेश पाल, नि0 निकट एल.आई.सी. पेट्रोल पम्प, अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुरको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ उपरोक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त किया गया आलाकत्ल/अवैध तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई। मुकदमा उपरोक्त में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ पुत्र सत्यपाल जाटव, नि0 मो0 गदियाना थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुरउम्र करीब 22 वर्ष

2. आर्यन उर्फ शुभांकर पुत्र स्व0 शिवराज निवासी क्वार्टर नं.1 F13 डबल स्टोरी ओ.सी.एफ स्टेट, थाना सदर बाजार शाहजहांपुर उम्र करीब 22 वर्ष
3. काजल पुत्री महेश पाल, नि0 निकट एल.आई.सी. पेट्रोल पम्प, अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त किया गया आलाकत्ल/अवैध तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर
2. उ0नि0 दिलशाद खां, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर
3. उ0नि0 ललित शर्मा, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर
4. उ0नि0 जगेन्द्र प्रताप, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर
5. उ0नि0 दिनेश कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर
6. प्रशिक्षु म0उ0नि0 काजल पंवार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर
7. का0 1767 बिट्टू कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर